

रामनिवास / काजराज

| <p>तारीख<br/>हुक्म</p>                                                                                  | <p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>20/01/2024</p>                                                                                       | <p>पत्रावली पेश। वहीन इअपफा उपस्थित। वादी अधिवक्ता द्वारा जॉ.पत्र संलग्न 022R4 CPC एवं जॉ.पत्र संलग्न धारा 05 सिपाद अधिनियम का पेश किया गया जो शामिल प्रिसन किया गया एवं प्रति प्रतिवादी अधिवक्ता को दी गयी। पत्रावलीवाले प्रतिवादी अधिवक्ता द्वारा जॉ.पत्र संलग्न 022R4 CPC एवं जॉ.पत्र संलग्न धारा 05 सिपाद अधिनियम का जवाब प्रस्तुत करते वाबत दि 6 01/02/2024 को पेश हो।</p>                                                     |
| <p>01/02/2024<br/>नया वाद पेश करने के अधिकार का प्रयोग करने हेतु वाद विहीन पत्रावली पेश करने के लिए</p> | <p>पत्रावली पेश। वहीन इअपफा उपस्थित। वादी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि नया वाद पेश करने के अधिकार को सुरक्षित रखते हुए वाद जरिये विद्वी खारिज करवावे। चूंकि वादी वाद में अग्रिम कार्यवाही नहीं चाहते, अतः वादी का वाद संलग्न धारा 88, 53, 138 RA Act का जरिये विद्वी खारिज किया जाता है। पत्रावली कैलन शुभार होकर दर्ज नंबर से नग होकर दाखिल करार हो।</p> <p>सहायक कलक्टर एवं जज के अधिकारी भोपाल नगड़ (जाधपुर)</p> <p>20/01/2024</p> |

